

- आदेश -

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया। दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की सजा में आती है। अंकित इन्दाज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्दाज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है अतः इन्दाज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्दाज

स्वीकृत किया गया नया इन्दाज

| क्र. सं. | खातेदार का नाम | खसरा नम्बर | रकबा | खातेदार का नाम | खसरा नम्बर |
|----------|------------------------|------------|------|-----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 128 | श्रीकांत / रामेश्वरराय | 146 | 0.07 | अवणकुमार रामशाम | 146 |
| 129 | | कुल कित | 10 | | |

जाकीपुश

क्रमांक - PPKSA/21/119
प्रतिलिपि पालनार्थ :-
1. उप तहसीलदार, मौलासर

शिविर प्रभारी
(अतिरिक्त जिला प्रशासक, डीडवाना)
(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)
PGKSA-2021, पं.स. मौलासर 11/10/21

शिविर प्रभारी
(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)
दिनांक 11/10/21

क्रमांक :-
प्रतिलिपि पालनार्थ :-
1. पटवार हल्का
पालना सुनिश्चित करें।

को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णय

उप तहसीलदार, मौलासर